क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
UTTAR PRADESH REGIONAL OFFICE
POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक– 942/OA No - 189/24 दिनांक 12.07.24

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject:- Action Taken Report on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance of order dated 04.03.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 189 of 2024 News item titled & quot; Khule me pada chikitsa kachara, mareejo kee sehat par khatra & quot; appearing in Hathras News dated 23.01.2024 Regarding.

Sir,

This has reference to above mentioned subject regarding compliance of the Hon'ble National Green Tribunal New Delhi Principal Bench Order dated 04.03.2024 in the O.A. No. 189 of 2024 News item titled & quot; Khule me pada chikitsa kachara, mareejo kee sehat par khatra" appearing in Hathras News dated 23.01.2024, The relevant part of the order dated 04.03.2024 passed by Hon'ble NGT is as follows -

"……7. Thus, we dispose of the OA directing the UPPCB to take appropriate action after duly following the principles of natural justice and submit the action taken before the Registrar General of the Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the bench for consideration.

8. The OA is accordingly disposed of……"

In compliance of the above direction, the action taken report by Uttar Pradesh Pollution Control Board along with enclosures is being placed before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

Your's

Encls-As above.

12/7/2024
(Radhey Shyam)
Regional Officer

CC :-CEO-4/CLO Sir, UPPCB, Lucknow for information & nessesary action please.

Regional Officer

Action Taken Report on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance of order dated 04.03.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 189 of 2024 News item titled "Khule me pada chikitsa kachara, mareejo kee sehat par khatra" appearing in Hathras News dated 23.01.2024

In the O.A. No. 189 of 2024 News item titled "Khule me pada chikitsa kachara, mareejo kee sehat par khatra" appearing in Hathras News dated 23.01.2024, the Hon'ble National Green Tribunal has passed an order dated 04.03.2024, The operative portion of order is reproduced as under:-

"......7. *Thus, we dispose of the OA directing the UPPCB to take appropriate action after duly following the principles of natural justice and submit the action taken before the Registrar General of the Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the bench for consideration.*

8. The OA is accordingly disposed of.

9. A copy of the order be forwarded to UPPCB by e-mail for compliance."

In compliance of the above direction, the following action has been taken by Uttar Pradesh Pollution Control Board –

1. U.P. Pollution Control Board has imposed environmental compensation of Rs. 9,97,200/- (Rupees Nine Lakh Ninety Seven Thousand Two Hundred) against M/s Bagla Joint District Male Hospital, Hathras vide letter dated 30/05/2024. A reminder letter dated 29.06.2024 has been issued to the M/s Bagla Joint District Male Hospital, Hathras with direction to deposit the imposed environmental compensation. The copy of the letters dated 30.05.2024 and 29.6.2024 are enclosed as Annexure-1 and 2 along with this Action Taken Report.
2. U.P. Pollution Control Board has imposed environmental compensation of Rs. 12,91,200/- (Rupees Twelve Lakh Ninety One Thousand Two Hundred) against M/s District Women Hospital, Hathras vide letter dated 07.06.2024. A reminder letter dated 29.06.2024 has been issued to the M/s District Women Hospital, Hathras with direction to deposit the imposed environmental compensation. The copy of the letters dated 07.06.2024 and 29.6.2024 are enclosed as Annexure-3 and 4 along with this Action Taken Report.

The above Action Taken Report is being placed before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

Aligarh
Dated : 12.7.2024

Regional Officer,
UPPCB, Aligarh

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक H11718 /सी–4/सा–।।–942/2024 दिनांक 30-5-24

सेवा में,
मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय,
हाथरस।

विषय :पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध दिनांक 20.11.2021 से दिनांक 28.02.2024 तक कुल 831 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 1200/– प्रतिदिन की दर से रू0 9,97,200/– (रूपया नौ लाख सत्तानबे हजार दो सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्रांक–एच08041/सी–4/सा–।।–942/का0ब0नो0/2024, दिनांक 06.03.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस का निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2767/एच0बी0–27/बी0एम0डब्ल्यू0/24, दिनांक 07.03.2024 के द्वारा पंजीकृत डाक से कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न कर वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित की गई है, जिसके संबंध में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा अभी तक कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं कराया गया है। निरीक्षण आख्यानुसार स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 70 बेड्स स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण एवं निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0, आगरा से कराया जाता है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 20.12.2024 तक है। स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण हेतु सुविधा स्थापित की गयी है। स्वास्थ्य केन्द्र में ओ0टी0, फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र/सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नहीं पायी गयी। ओ0टी0, फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह को बिना किसी शुद्धिकरण के नगर पालिका परिषद, हाथरस की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु बनायी गयी लॉग बुक चाही गयी, परन्तु लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2100/बी.एम.डब्लू.–1/19, दिनांक 18.01.2019 के माध्म से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु दिनांक 31.12.2019 तक सशर्त प्राधिकार जारी किया गया है। स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिनांक 22.10.2021 को प्राधिकार हेतु निवेश मित्र व्यवस्था के अंतर्गत आनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके संबंध में दिनांक 23.10.2021 को क्लेरीफिकेशन लगाया गया था, परन्तु निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना प्राप्त न होने की दशा में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0–12653896, दिनांक 20.11.2021

के माध्यम से आनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है तथा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्रांक–488/एचवी–27/बीएमडब्ल्यू/24, दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से प्राप्त आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 13.05.2024 के अनुक्रम में मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 की पुष्टि करते हुए रू0 9,97,200/– (रूपया नौ लाख सत्तानबे हजार दो सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Annexure-2

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 789/HB-27/BMW/24 दिनांक 29.06.24

सेवा में,

मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय,
हाथरस।

विषयः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ, के पत्र संख्या– H11718/C-4)/सा-II-942/2024 दिनांक 30.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से रू0 9,97,200/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच11766/सिंगल विण्डो ऑनलाइन पोर्टल "निवेश मित्र"2024–25 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान, जिसका payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने हेतु Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें:–

1. Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति – Waste Management
2. Regional Offices/ क्षेत्रीय कार्यालय – Aligarh
3. EC imposed in compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया – UPPCB

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति की 15 दिवस के अन्दर उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किया जाना सुनिश्चित करें तथा जमा किये जाने के उपरान्त साक्ष्य इस कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

29/6/24
क्षेत्रीय अधिकारी

AEE LETTER 2024

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H12938 /सी–4/सा–।।–945/2024 दिनांक : 07/06/24

सेवा में,
मै0 जिला महिला चिकित्सालय,
हाथरस।

विषय :पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध दिनांक 20.03.2021 से दिनांक 28.02.2024 तक कुल 1076 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 1200/– प्रतिदिन की दर से रू0 12,91,200/– (रूपया बारह लाख इक्यानबे हजार दो सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्रांक–एच08599/सी–4/सा–।।–945/का0ब0नो0/2024, दिनांक 21.03.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस का निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डा0 शैली सिंह एवं श्री पुनीत वार्ष्णेय (लेखाकार) की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 30 बेड्स स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण एवं निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0, आगरा से कराया जाता है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 20.12.2024 तक है। स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण हेतु सुविधा स्थापित की गयी है। स्वास्थ्य केन्द्र में ओ0टी0, फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र/सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नहीं पायी गयी। ओ0टी0, फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह को बिना किसी शुद्धिकरण के नगर पालिका परिषद, हाथरस की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु लॉगबुक प्रस्तुत की गयी। उक्त लॉगबुक में दिनांक 03.03.2024 से 31.03.2024 तक का जैव चिकित्सा अपशिष्ट का विवरण उल्लेखित किया गया है, जिसमें वाहन पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–3795/बीएमडब्लू–2/18, दिनांक 21.03.2018 के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु दिनांक 20.03.2021 तक सशर्त प्राधिकार जारी किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2859 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु प्राधिकार आवेदन एवं सहमति (जल/वायु) आवेदन किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है तथा प्राधिकार एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। पूर्व में किये गये निरीक्षण दिनांक 28.02.2024 के समय जिला महिला चिकित्सालय के पीछे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के दायीं तरफ क्षतिग्रस्त भवन में लगभग–100 कि0ग्रा0 तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बायीं तरफ लगभग–10 कि0ग्रा0 जैव चिकित्सा अपशिष्ट काफी दिनों से फैला हुआ पाया गया था। निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 के समय उक्त वर्णित स्थान पर

Anne. I for compliance 13/6/24

जैव चिकित्सा अपशिष्ट फैला हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में फैले हुए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उठाकर संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था के माध्यम से निस्तारण करा दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ के पत्र संख्या–2881/एच0जे0–14/बी0एम0डब्ल्यू0/24, दिनांक 21.03.2024 के द्वारा पंजीकृत डाक से कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न कर वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित की गई है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा अपने पत्र संख्या–जि0म0चि0/बॉयो0मैडी0वेस्ट पत्रा0/2023–24/108, दिनांक 03.05.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण निरीक्षण के समय प्राप्त कराया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण में कारण बताओ नोटिस में दिये गये सभी तथ्यों के उत्तर का उल्लेख नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्रांक–389/एचजे–14/बीएमडब्ल्यू/24, दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से प्राप्त आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.03.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 13.05.2024 के अनुक्रम में मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.03.2024 की पुष्टि करते हुए रू0 12,91,200/– (रूपया बारह लाख इक्यानबे हजार दो सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 12,91,200/– (रूपया बारह लाख इक्यानबे हजार दो सौ मात्र) का भुगतान, जिसका payment gateway (URL: **https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB**) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown मे निम्नवत विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1- Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति - Waste Management
2- Regional offices /क्षेत्रीय कार्यालय - Aligarh
3- EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– जिलाधिकारी, हाथरस।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
3– लेखा–प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Annexure - 4

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ

पत्रांक 787/HJ-14/BMW/24 दिनांक 29.06.24

सेवा में,

मै० जिला महिला चिकित्सालय,
हाथरस।

विषयः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ, के पत्र संख्या– H12238/C-4)/सा-II-945/2024 दिनांक 07.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से रू0 12,91,200/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है तथा उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान, जिसका payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें:–

1. Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति – Waste Management
2. Regional Offices/ क्षेत्रीय कार्यालय – Aligarh
3. EC imposed in compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया – UPPCB

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति की 15 दिवस के अन्दर उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किया जाना सुनिश्चित करें तथा जमा किये जाने के उपरान्त साक्ष्य इस कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

29/6/24
क्षेत्रीय अधिकारी